"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2005—वैशाख 30, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से. (1992) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं महानिरीक्षक, पंजीयन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री बेहार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एल. ठाकुर, संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म के कार्यभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

3. श्री बेहार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-1954 के नियम-9 के अंतर्गत संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-3 (बी) में सम्मिलित विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2005

क्रमांक ई-7/55/2004/1/2.—श्री बी. पी. एस. नेताम, सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को दिनांक 2-5-2005 से 20-5-2005 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01, 21, 22 एवं 23 मई, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री नेताम, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री नेताम, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नेताम, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2005

क्रमांक ई-7/11/2004/1/2.—श्री पी. सी. दलेई, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग को दिनांक 16-5-2005 से 20-5-2005 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14, 15, 21, 22 एवं 23 मई, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दलेई, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री दलेई, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दलेई, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2005

क्रमांक ई-7/5/2003/1/2.—श्री एस. के. केहरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा को दिनांक 11-3-2005 से 31-3-2005 तक (21 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री केहरी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केहरी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2005

क्रमांक ई-7/5/2003/1/2.—श्री एस. के. केहरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा को दिनांक 5-3-2005 से 10-3-2005 तक (6 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री के.एस. भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केहरी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2005

क्रमांक ई-7/8/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15-4-2005 द्वारा श्री बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 15-4-2005 से 25-4-2005 तक (11 दिवस) स्वीकृत की गई अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें दिनांक 19-4-2005 से 25-4-2005 तक (7 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत कियां जाता है तथा दिनांक 16, 17 एवं 18 अप्रैल, 2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही विदेश प्रवास (कनाडा) की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2005

क्रमांक ई-7/48/2004/1/2.—श्री गौरव द्विवेदी, भा.प्र.से., कलेक्टर, कोरबा को दिनांक 7-5-2005 से 13-5-2005 तक (7 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15 मई, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री द्विवेदी के उक्त अवकाश अवधि में कलेक्टर, कोरबा का चालू कार्य श्री सुधाकर खलखो, अपर कलेक्टर कोरबा सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरबा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2005

क्रमांक ई-7/6/2004/1/2.—श्री आर. पी. बगाई, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 9-5-2005 से 20-5-2005 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा दिनांक 8, 21, 22 एवं 23 मई, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उक्त अवकाश अवधि में विदेश प्रवास (मारीशस) पर जाने हेतु स्वयं के व्यय पर यात्रा करने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बगाई, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बगाई, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बगाई, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2005

क्रमांक एफ 5-07/2004/42-पार्ट.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 1 मार्च, 2005 द्वारा श्री ठाकुर रामसिंग, अपर कलेक्टर, दुर्ग को उनके वर्तमान कार्य के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के कुल सचिव पद का दायित्व सौंपा गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करते हुये डा. के. डी. परमार, प्रोफेसर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग), इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लेते हुये, उन्हें तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का कुल सचिव नियुक्त करता है.

3. उनकी सेवाशर्तें सामान्य प्रतिनियुक्ति की शर्तों के तहत पृथक से जारी की जायेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. जैन, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ-9-34/दो/गृह/05.—कृषि विभाग के कृषि सेवा कार्यपालिक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र "लेखा-प्रथम प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) द्वितीय प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री हरीश कुमार नेताम	कृषि विकास अधिकारी	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 4 मई 2005

क्रमांक एफ-9-23/दो/गृह/05.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र "लेखा-प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी. में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती ऋतु सेन	सहायक कलेक्टर	सश्रेय
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
2.	कु. अमृता सोनी	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
3.	श्री सुरेश कुमार निगम	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में उच्चस्तर द्वितीय में सश्रेय
4.	श्री बलीराम साहू	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर द्वितीय में उच्चस्तर
5.	श्री आर. डी. साहू	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर द्वितीय में निम्नस्तर
6.	श्री हरिशंकर पटेल	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर द्वितीय में उच्चस्तर
7.	श्री हरिश्चन्द्र कोरटे	राजस्व निरीक्षक	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2005

क्रमांक एफ-9-6/दो/गृह/05.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-ए (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती हैं :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र (4)	उत्तीर्ण होने का स्तर (5)
1.	श्री देवसर दास मण्डले	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में	उच्चस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2005

फा. क्र. 3940/डी-983/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन श्री तपन कुमार चक्रवर्ती, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायपुर का स्थानांतरण उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश क्रमांक 270/II-2/1/2005 दिनांक 27-4-2005 द्वारा जिला न्यायाधीश कबीरधाम (कवर्धा) के पद पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की एतद्द्वारा सौंपी जाती हैं.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2005

फा. क्र./3941/डी-983/21-ब/छ. ग./05.—राज्य शासन श्री राजेश्वर लाल झंवर, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी जिनकी सेवायें इस विभाग के आदेश क्रमांक 3978/डी-1365/21-ब/छ.ग./04 दिनांक 28-6-2004 द्वारा छ. ग. शासन, परिवहन विभाग को सौंपी गई थी, की सेवायें परिवहन विभाग के वापस लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2004

फा. क्र. 3942/डी-982/21-ब/छ. ग./05.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 275/II-2-101/2001 (गोपनीय)/2005 दिनांक 27-4-2005 के अनुपालन में श्री अखिल कुमार सामंत रे, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन, मंत्रालय रायपुर में उप सचिव के पद पर एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2005

फा. क्र. 3943/डी-982/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 275/II-2-101/2001 (गोपनीय)/2005 दिनांक 27-4-2005 के अनुपालन में श्री अखिल कुमार सामंत रे, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर की सेवायें उप सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2005

फा. क्र. 3944/डी-980/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 274/II-2-16/2001 (गोपनीय)/2005 दिनांक 27-4-2005 के अनुपालन में श्री ताराचंद यदु, विधिक सलाहकार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर की सेवायें सामान्य प्रशासन विभाग से वापस लेते हुए उनकी सेवायें प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रायपुर के पद पर नियुक्ति हेतु एतद्द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2005 .

फा. क्र. 3945/डी-983/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन श्रीमती मैत्रयी माथुर, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, बिलासपुर का स्थानांतरण उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश क्रमांक 270/II-2/1/ 2005 दिनांक 27-4-2005 द्वारा उनका स्थानांतरण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत गठित विशेष न्यायालय रायपुर में विशेष न्यायाधीश के पद पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को [illegible]द्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2005

फा. क्र. 3946/डी-983/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन श्री चंद्रभूषण बाजपेयी, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी जिनकी सेवायें इस विभाग के आदेश क्रमांक 1916/795/21-ब/छ. ग./04 दिनांक 25-3-2004 द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को सौंपी गई थी, की सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2005

फा. क्र. 3947/डी-983/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन श्री सी. एल. पटेल, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी जिनकी सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपी गई थी की सेवायें उच्च न्यायालय, बिलासपुर की आदेश दिनांक 270/II-2/1/ 2005 दिनांक 27-4-2005 द्वारा उनका स्थानांतरण जिला न्यायाधीश, कोरबा के पद पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2005

क्रमांक 4154/डी-1030/21-ब/छ.ग./04.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्र. 292/दो-15-66/2001 (पी.टी.-दो)/गोपनीय/2005, दिनांक 5 मई, 2005 के अनुपालन में श्री महेन्द्र कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर की सेवाएं माननीय उच्च न्यायालय, छ. ग. बिलासपुर को एतद्द्वारा वापस की जाती हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2005

फा. क्र. 4086/1000/21-ब/छ.ग./05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार प्रधान, अधिवक्ता, रायगढ़, जिला रायगढ़ को नियमित न्यायालय, रायगढ़ के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि के लिए रायगढ़ जिले के लिए द्वितीय अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

खेल एवं युवक कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मई 2005

क्रमांक 185/1262/9/2002.—राज्य शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत विभागीय सेटअप में आंशिक संशोधनोपरांत संचालक खेल एवं युवक कल्याण छत्तीसगढ़ के पदनाम परिवर्तन की निम्नानुसार स्वीकृति दी जाती है.

क्र.	पूर्व पदनाम	संख्या	नवीन पदस्थापना	वेतनमान	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संचालक	01	आयुक्त	18,400-500-22,000	प्रतिनियुक्ति (अखिल भारतीय सेवाएं)

2. उक्त पद पर व्यय मांग संख्या 43-2204, खेल और युवा कल्याण (103) गैर विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम 0101-राज्य आयोजना सामान्य (2323) निर्देशन और प्रशासन मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

वित्त विभाग के यू. ओ. क्र. 138/397/ब-1/चार/05 दिनांक 2-5-2005 द्वारा सहमति दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2005

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2005/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा-10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर श्री प्रकाश चन्द्र सांखला, निवासी कैलाश नगर, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ को जिला फोरम, राजनांदगांव में सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2005

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2005/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 548 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 मई, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th May 2005

No. F 5-1/food/2005/29.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) on the recommendation of the Selection Committee, the State Government hereby appoints Shri Prakash Chandra Sankhala, resident of Kailash Nagar, Rajnandgaon, Chhattisgarh as the member in the District Consumer Forum, Rajnandgaon with effect from the taking over the charge.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT, Joint Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2005

क्रमांक 996/एफ 9-15/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए धमधा, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई है :—

अनुसूची

धमधा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बरहापुर, बिरझापुर, डंगनिया, सिरनाभाठा एवं मोतीमपुर, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम मोतीमपुर, तितुरघाट एवं सोनेसरार, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम सोनेसरार, कुम्हारीडीह, बसनी, पडोरा, धमधा-कला एवं परसबोड, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम परसबोड, बरहापुर एवं बिरझापुर, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2005

क्रमांक 999/एफ 9-14/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए दीपीका, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चिय की गई है :—

अनुसूची

दीपीका निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम तिवरता, बतारी, देवगांव, चाकामुंडा, बुदेली, देवरी एवं कोरई, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कोरई, ढुरेना, जुनाडीह, बिझरा, बरेली एवं मलगांव, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम मलगांव, सुआभोडी एवं चेनपुर, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम चेनपुर, नवापारा, सिरकी एवं तिवरता ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2005

क्रमांक 1002/एफ 9-16/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए साजा, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चिय की गई है :—

अनुसूची

साजा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम जाता एवं गजरा, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम गजरा एवं डोंगीतराई, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम डोंगरीतराई एवं साजा, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम साजा, जाता एवं गजरा, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 29 अप्रैल 2005

क्रमांक /भू-अर्जन/2005/4749.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	राहाडीह	18.545	मुख्य महाप्रबंधक एस ई सी एल कोरबा क्षेत्र.	सराईपाली ओपनकास्ट परियोजना खोलने बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 29 अप्रैल 2005

क्रमांक /भू-अर्जन/2005/4750.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	बुड़बुड़	206.028	मुख्य महाप्रबंधक एस ई सी एल कोरबा क्षेत्र.	सराईपाली ओपनकास्ट परियोजना खोलने बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 6 मई 2005

प्रकरण क्रमांक 7 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कांपा	1.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, मनियारी संभाग मुंगेली जिला-बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 मई 2005

प्रकरण क्रमांक 8 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बीसाटोला	1.92	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-दुर्ग.	कर्रानाला व्यपवर्तन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 मई 2005

क्रमांक 9 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	छिरहा	0.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	छिरहा व्यपवर्तन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 मई 2005

प्रकरण क्रमांक 10 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	हरिनछपरा	2.48	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कबीरधाम.	औद्योगिक क्षेत्र के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 मई 2005

प्रकरण क्रमांक 11 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बानो	30.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	बानो जलाशय के पार, डूबान, उलट, नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1295.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	नवागांव प. ह. नं. 6	3.538	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	इस्केप चैनल नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1296.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	भागोडीह प. ह. नं. 16	1.909	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती..	इस्केप चैनल नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1297.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरहर प. ह. नं. 16	4.568	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	इस्केप चैनल नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 3 फरवरी 2005

क्रमांक 477/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	चंगोरी	14.81	अनुविभागीय अधिकारी तांदुला जल संसाधन उप संभाग, क्र. 3, दुर्ग.	खुड़मुड़ी जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक 533/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	घोठवानी	4.32	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन की शाखा 1, 2, 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 जुलाई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोतरा प.ह.नं. 9	0.061	उप प्रबंधक, पावर ग्रिड, रायगढ़.	विंध्याचल स्टेज III के तहत 400/200 के. बी. उपकेन्द्र हेतु पूरक भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/12/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	चपका	2.54	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना की चपका माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/13/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हली	0.438	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना की कुम्हली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/14/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बोरीगांव	0.937	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	मूली व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/15/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	चापापदर	3.53	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	मूली [illegible]वर्तन [illegible]ोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/16/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बारदा	4.75	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	मूली व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/17/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हरावन्ड	6.09	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	मूली व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/19/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बोड़नपाल	1.465	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना की बोड़नपाल सब माइनर नहर क्रमांक 1 एवं 2 हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/20/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	बोरीगांव	1.19	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	मूली व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/21/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी-को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	सालेमेटा	1.24	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के बेसिन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/22/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	फाफनी	1.067	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना की कुम्हली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 5 मई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/23/अ-82/04-05/15/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	पल्ली	1.569	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कुम्हरावण्ड उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/11/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा.	दंतेवाड़ा	गीदम	0.50	कार्यपालन अभियंता, जलसंसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा.	आवास भवन एवं उपसंभाग कार्यालय भवन निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/4 अ/82/ 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	साराडीह प.ह.नं. 5	0.089	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) रायपुर.	साराडीह-भोथाडीह मार्ग के पुल के पहुंच मार्ग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 1 अप्रैल 2005

क्रमांक 1642/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े सुरोखी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.25 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
145	0.03
146	0.02
39	0.38
99	0.14
51	0.11
53/1	0.07
53/2	0.08
53/4	0.07
38	0.02
53/3 क	0.09
48	0.12
96	0.12
योग	1.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा एवं कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 1 अप्रैल 2005

क्रमांक 1643/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े तुमनार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.68 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
287	0.10
290	0.10
293	0.02
294	0.05
407/3	0.05
417	0.05
416	0.07
414	0.04
413	0.11
415	0.05
300	0.03
299	0.08
407/1	0.06
407/1 क	0.11
302	0.01
376	0.14
375	0.05
370	0.02
707	0.07
365	0.07
708	0.09
364	0.11
643	0.06
378	0.21

(1)	(2)
380	0.20
407/2	0.04
677	0.06
678	0.17
683	0.24
755	0.05
686	0.21
728	0.01
762	0.08
760	0.05
698	0.20
717	0.05
723	0.10
725	0.10
732	0.03
726	0.11
730	0.19
286	0.01
746	0.03
योग	3.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 1 अप्रैल 2005

क्रमांक 1647/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बांगापाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.27 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
467	0.13
487	0.19
485	0.45
484	0.50
योग	1.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा एवं कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 1 अप्रैल 2005

क्रमांक 1649/भू-अर्जन/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-कारली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
204	0.04

(1)	(2)
206	0.08
222	0.04
1069	0.02
231	0.02
210	0.08
215	0.01
218	0.20
530	0.10
208	0.08
219	0.18
223	0.04
227	0.06
1061	0.03
1067	0.04
228	0.03
233	0.13
499	0.11
523	0.10
524	0.02
541	0.02
547	0.15
512	0.04
548	0.08
555	0.20
563	0.12
526	0.10
532	0.15
560	0.06
561	0.04
607	0.10
योग	2.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 1 अप्रैल 2005

क्रमांक 1650/भू-अर्जन/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-जौंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
207	0.47
252	0.27
253	0.21
256	0.05
258	0.45
261	0.03
262	0.07
274	0.18
263	0.24
266	0.30
272	0.47
271	0.01
277	0.08
280	0.03
282	0.15
योग	3.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 21 अप्रैल 2005

क्रमांक 41/भू-अर्जन/02/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
  (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
  (ग) नगर/ग्राम-टेकनार
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.02
14	0.07
53	0.25
105	0.13
173	0.04
780	0.05
782	0.25
958	0.26
980	0.07
986	0.10
993	0.12
996	0.08
1117	0.30
1231	0.08
1139	0.23
10	0.12
17	0.40
63	0.05
109	0.16
1137	0.06
783	0.02
846	0.12
983	0.02
981	0.10
994	0.05
995	0.06
1107	0.03
1118	0.18
1236	0.53
1142	0.16
40	0.05
35	0.06
29	0.10
175	0.03
1138	0.07
784	0.15
957	0.10
960	0.18
982	0.12
987	0.07
1002	0.18
1115	0.16
1230	0.05
1244	0.20
1143	0.12
1245	0.28
योग	6.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कारली, भैरमगढ़ एवं आवराभाटा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा एवं कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर देतेवाड़ा से किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 29 अप्रैल 2005

क्रमांक/4751/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़
(ख) तहसील-कोरबा
(ग) नगर/ग्राम-रजगामार, प.ह.नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	119/4	0.05
	119/5	0.05
	119/6	0.05
	119/7	0.05
	119/8	0.05
योग	5	0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पवन इन्फलाइन हेतु अर्जन बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कोरबा/ नोडल अधिकारी भूमि एवं राजस्व एसईसीएल कोरबा क्षेत्र के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 मार्च 2005

क्रमांक 02/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जांजगीर
(ग) नगर/ग्राम-परसाही, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.247 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	128/19	0.202
	128/22	0.045
योग	2	0.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शनिचराडीह जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मार्च 2005

क्रमांक 1293/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-चाम्पा, प. ह. नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.324 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2299/2	0.162

(1)	(2)
2300/2	0.162
योग 2	0.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 1246/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लोहराकोट, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.660 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
454/1	0.053
422, 423	0.045
427/1	0.049
458/1	0.057
199/1	0.065
428	0.049
426	0.045
427/2	0.036
429/2	0.024
443	0.040
440/2	0.024
439/3	0.061
387/1	0.020
439/7	0.024
440/1	0.073
441	0.045
383/1	0.053
384/3	0.069
386/1	0.036
386/4	0.040
386/2	0.093
186	0.024
187	0.073
188/1	0.065
196/1	0.040
198	0.129
199/3	0.061
199/2	0.081
200/2	0.028
200/1, 247	0.024
429/1	0.134
योग 31	1.660

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोहराकोट माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 41/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दूवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.32 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
397/1	0.33
399/2	0.22
400/3	0.25
504/12	0.35
504/13	0.17
योग	1.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 17/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पकरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.95 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
315, 316, 317/1	0.08
317/2, 320	0.21
319	0.24
314/2	0.30
321/1, 324/2	0.06
321/2	0.25
597	0.38
599	0.30
701	0.16
931	0.43
933/1	0.35
933/2	0.33
933/3	0.30
1159/1	0.19
1159/2	0.19
1159/3	0.18
योग	3.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 15 दिसम्बर 2004

क्रमांक 1813/प्र.-1/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-चिचलगोंदी, प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
493	0.02
492/1	0.10
योग	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चिचलगोंदी नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय, दुर्ग में किया जा सकता है

दुर्ग, दिनांक 15 फ़रवरी 2005

क्रमांक 214/प्र-1/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-मटिया, प.ह.नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135	0.09
134	0.03
132	0.26
145	0.01
153	0.01
154/1	0.10
118	0.08
51	0.02
119	0.04
120/2	0.04
121	0.02
113	0.02
120/3	0.06
42/1	0.13
120/1	0.06
42/2	0.06
43	0.06
47	0.07
48	0.02
50	0.02
61	0.10
62	0.07
63	0.01
67	0.08
66	0.05
68	0.12
290	0.06
289	0.08
288/1-2	0.02
288/7	0.06
288/4	0.02
287/1	0.02
287/2	0.06
287/3	0.06
286/2	0.01
286/1	0.03
279/1	0.19
255	0.02
256	0.04
257	0.04
योग	2.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत जोगनाला जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 214/प्र-1/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-धरमी, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
623	0.24
633	0.08
637	0.07
640	0.04
641	0.10
643	0.05
658	0.04
659	0.04
660	0.02
661	0.02
662	0.02
663	0.04
योग	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत पचपेड़ी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 214/प्र-1/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-नाहंदा, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.81 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
46	0.05
65/1	0.16
290	0.10
295	0.18
296	0.07
297	0.14
330/1	0.03
331/1	0.03
330/2	0.03
333	0.02
योग	0.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत नांहदा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 अप्रैल 2005

क्रमांक 487/प्र-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-दारगांव, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.47 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
195	0.15
205/1	0.12
205/3	0.08
204/1	0.10
205/2	0.02
योग	0.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-शिवनाथ नदी सेतु निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 अप्रैल 2005

क्रमांक 505/प्र-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-बिरेझर, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1949	0.03
1951	0.10
योग	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अंजोरा-चंगोरी मार्ग पर चंगोरी नाला सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 5 अप्रैल 2005

क्रमांक 569/अ.वि.अ./भू-अर्जन/12-अ/82 सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-जुनवानी कला, प.ह.नं. 118/65
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.72 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
798	0.30
805	0.32
782/1	0.32
773	0.36
823	0.13
833	0.10
845	0.32
670	0.13
485	0.07
487	0.03
495	0.03
596	0.24
594	0.37
योग 13	2.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-चण्डी डोंगरी जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक 369/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.179 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
221	0.026
215	0.025
213	0.061
216	0.039
214	0.028
योग	0.179

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जयरामपारा तालाब नहर निर्माण एल. बी. सी. एवं आर. बी. सी. के निर्माण के लिये.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भानुप्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक 370/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हाटकोन्दल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.907 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
497	0.12
321	0.079
671/1	0.09
671/4	0.016
522/1	0.078
509	0.017
679	0.019
316	0.266
213	0.039
710	0.104
214	0.143
522/4	0.047
709	0.055
131	0.057
133	0.026
671/2	0.05
612	0.05
128/2	0.039
574	0.013
581	0.02
135	0.161
537	0.036
521	0.021
345	0.112
333	0.022
714	0.053
534	0.015
207	0.039
670	0.181
520/1	0.011
580/2	0.076
671/17	0.04
680/2	0.04
573	0.070
513	0.052
506	0.027
320	0.039
315	0.029
716	0.071
149	0.050

(1)	(2)
718	0.149
212	0.032
683	0.111
319	0.019
338	0.159
514	0.07
712/2	0.069
671/7	0.04
508/1	0.06
124	0.168
518/2	0.045
137	0.050
507	0.099
518/1	0.118
707	0.147
208	0.003
522/3	0.057
127	0.056
144	0.039
671/6	0.03
332	0.12
611	0.057
336	0.098
671	0.04
519	0.021
130	0.031
334	0.118
579	0.132
548	0.134
192/2	0.040
209	0.025
681	0.069
535	0.028
योग	4.907

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जयरामपारा तालाब नहर निर्माण एल. बी. सी. एवं आर. बी. सी. के निर्माण के लिये.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भानुप्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 अप्रैल 2005

क्रमांक /2219/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-कान्हें, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.213 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
58/1	0.199
62/1	0.050
62/2	0.182
62/3	0.071
65	0.015
66	0.182
76	0.365
142	0.182
159.	0.067
40/1	0.009
40/2	0.033
40/3	0.063
40/4	0.063
40/5	0.063
40/6	0.063
40/7	0.063
40/8	0.042
40/9	0.033
40/10	0.033
40/11	0.033
40/12	0.033
40/13	0.033
40/14	0.033
40/15	0.033
40/16	0.033
40/17	0.033
40/18	0.033
40/19	0.033
40/20	0.025
40/21	0.025
40/22	0.025
40/23	0.063
योग 32	2.213

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोंगरा बैराज के कान्हें माइनर नहर निर्माण हेतु (कान्हें)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 अप्रैल 2005

क्रमांक /2222/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कुल्हाडी, प. ह. नं. 62
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.843 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83	0.048

(1)	(2)
84	0.096
176	0.073
175	0.137
228	0.028
86	0.078
88	0.037
89/1	0.033
230/1	0.005
230/3	0.029
99	0.021
231	0.012
98	0.016
97	0.024
96	0.009
199/2	0.078
229/3	0.042
197	0.120
232	0.016
196	0.103
195	0.069
178	0.243
225/1	0.176
225/2	0.028
227	0.024
233	0.072
234	0.050
235/1	0.016
235/2	0.064
236/1	0.013
236/2	0.053
229/4	0.016
236/3	0.014
योग 33	1.843

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोंगरा बैराज के नादिया माइनर नहर निर्माण हेतु (कुल्हाड़ी).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 अप्रैल 2005

क्रमांक /2274/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा - 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-गर्रा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.97 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
88/2	0.27
90/2	0.03
92/1	0.01
102/1, 102/2	0.36
102/3, 102/4	0.12
103/3	0.03
124/2	0.02
429/1	0.08
436	0.02
470	0.03
योग 10	0.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मानिकचौरी डायवर्सन के अंतर्गत गर्रा माइनर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 अप्रैल 2005

क्रमांक /2275/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा - 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अं. चौकी
(ग) नगर/ग्राम-विचारपुर, प. ह. नं. 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-31.039 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51/2	0.046
125/3	0.227
51/1	0.070
125/2	0.283
60	1.554
64	0.288
123	0.987
62	0.292
63	0.194
78/1	0.708
139/2	0.198
139/4	0.262
139/5	0.821
67/1	0.263
67/2	0.143
68	1.471
70	0.300
72	0.440
73	0.599
105	0.202
74	0.574
75	1.490
76	2.866
78/2	0.708
139/1	0.177
139/3	1.077
79	0.769
80	0.841
81	0.332
82	0.346
83	0.093
84/1	0.049
157	0.400
84/2	0.032
84/3	0.263
85	0.263
96	0.085
86	0.474
87	0.420
95	0.053
88	0.328
98	0.053
107	0.742
113	0.093
89/1	0.061
89/3	0.081
89/2	0.081
89/4	0.105
90	0.421
91	0.101
97	0.053
92	0.105
111	0.145
93	0.101
94	0.036
99	0.413
117	0.295
102	0.656
127	0.825
103	0.413
126	0.114
143	0.235
106	0.296
114	0.621
115	0.458

(1)	(2)
118	0.231
121	1.295
116	0.295
119	0.154
120	0.760
125/1	0.226
139/6	0.198
141	0.388
योग	31.039

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोंगरा बैराज परियोजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 अप्रैल 2005

क्रमांक /2276/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-पोसवार, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-131.041 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
38	0.061
28	0.393
7/1	0.109
7/18	0.125
7/37	0.089
7/38	0.121
7/42	0.076
14/1	0.223
3/9	0.057
82	0.866
9/2	0.138
7/23	0.053
7/39	0.283
14/2	0.414
119/2	0.210
9/3	0.117
3/3	0.210
3/6	0.049
60/5	0.109
21/3	0.069
48/5	0.020
21/6	0.032
48/7	0.028
68/4	0.243
141/1	0.101
141/14	0.097
2/2	0.109
2/3	0.097
2/4	0.093
21/10	0.016
48/8	0.016
2/9	0.154
2/8	0.065
2/1	0.938
35/2	0.465
100/1	0.307
7/31	0.226
71/3	0.809
125/2	0.405
61	0.388
23/3	0.510
21/18	0.049
21/2	0.101
21/12	0.049
21/14	0.024
21/15	0.089
48/3	0.024

(1)	(2)
48/9	0.089
48/11	0.040
68/2	0.028
68/5	0.121
68/6	0.065
141/2	0.053
141/11, 141/19	0.076
141/17	0.113
141/18	0.073
35/1	0.097
35/3	0.137
77/3	0.118
124/4	0.153
124/13	0.081
124/15	0.113
124/18	0.036
124/24	0.109
124/25	0.024
132/4	0.251
21/1	0.129
21/5	0.045
21/17	0.016
48/4	0.049
68/1	0.081
141/5	0.069
141/8	0.170
141/9	0.081
141/15	0.045
21/14	0.016
141/9	0.081
141/15	0.044
104/2	0.304
104/3	0.377
7/19	0.045
7/13	0.105
7/16	0.089
7/40	0.283
7/25	0.073
7/28	0.081
7/30	0.198
7/41	0.291
7/43	0.077
32/1	0.477
42/2	0.057
85	0.845
101/1	0.676

(1)	(2)
107/2	0.405
7/17	0.085
7/22	0.028
17	0.405
71/4	0.809
7/14	0.138
7/21	0.093
7/34	0.049
7/35	0.138
14/3	0.214
65	0.636
51/2	0.150
19	1.108
127	0.713
7/2	0.389
7/4	0.053
7/8	0.713
7/12	0.125
9/1	0 625
77/4	0.112
124/1	0.036
124/6	0.146
124/10	0.045
124/16	0.040
124/23	0.137
132/3	0.113
21/8	0.069
21/11	0.036
21/13	0.069
48/2	0.024
48/10	0.012
68/3	0.113
141/7	0.287
141/10	0.109
141/12	0.049
124/2	0.036
124/7	0.161
124/9	0.073
124/12	0.081
124/20	0.065
124/22	0.137
132/2	0.097
132/5	0.210

(1)	(2)	(1)	(2)
93/2	0.413	71/8	0.344
66/1	0.490	7/6	0.162
66/3	0.093	14/5	0.081
3/1	0.129	14/6	0.081
60/4	0.158	104/5	0.587
136	0.809	86	0.372
12	0.324	7/45	0.198
16	0.389	71/5	0.809
27	0.287	107/3	0.097
34	0.279	110/3	0.065
51/1	0.255	114	0.125
57/2	0.061	133	0.085
64	0.915	139/2	0.328
7/15	0.190	80/3	0.036
7/24	0.044	104/4	0.725
7/27	0.162	33	0.097
11	0.463	54	1.121
25	0.644	56	0.539
36	0.655	118	1.534
69	1.205	7/33	0.186
66/2	0.073	21/4	0.057
137/1	0.405	21/9	0.036
106	0.283	48/1	0.049
107/1	0.769	48/6	0.020
90	0.648	48/8	0.016
142/2	0.405	141/3	0.[illegible]66
7/10	0.170	141/13	0.081
7/20	0.053	141/16	0.069
7/26	0.081	23/1	0.975
7/32	0.198	20/2	1.942
7/36	0.186	2/7	0.032
7/44	0.125	100/2	0.214
14/4	0.154	100/3	0.198
7/29	0.081	100/4	0.085
3/7	0.262	141/6	0.077
7/1	0.121	29	0.089
3/2	0.303	55/1	0.695
3/5	0.071	6	0.352
3/8	0.065	13	0.384
60/2	0.101	18	0.421
60/3	0.445	43	0.348
71/2	0.061	104/6	0.405
71/7	0.364	142/3	0.405

(1)	(2)	(1)	(2)
7/3	0.255	124/26	0.024
7/5	0.218	132/1	0.121
7/7	0.053	132/7	0.243
7/9	0.053	5	2.584
7/11	0.053	30	0.113
21/7	0.036	39	0.878
21/16	0.016	42/1	0.324
141/4	0.045	42/3	0.057
20/1	1.697	44	0.267
41/2	0.016	101/2	1.291
57/1	1.274	41/1	0.243
67	0.376	135	4.509
4	0.198	59	0.121
8	0.788	115	3.125
15	0.308	139/1	0.918
26	0.105	46/2	0.073
31	0.458	88/1	0.461
37	0.121	88/3	0.259
50	0.632	93/3	0.332
52	0.394	93/4	0.648
46/1	0.073	93/6	0.494
88/2	0.518	103	1.032
93/1	4.334	120	1.534
93/5	0.728	122	1.235
80/1	0.557	22	0.150
84.2	0.417	78	0.219
97	0.478	81	1.582
99	0.947	87	0.182
129	3.650	91	0.450
75	0.202	96	1.169
80/2	0.898	105	5.407
84/1	0.251	119/1	0.623
92	0.178	138	3.047
104/1	1.463	140	2.938
146	0.368	144	0.138
45	0.081	117	0.178
89	2.148	123	0.821
94	0.866	126	1.133
121	2.227	131	0.809
72/2	0.117	109	3.395
124/8	0.121	111	1.259
124/17	0.383	125/1	3.099
124/21	0.137	77/1	0.118

(1)	(2)
124/3	0.049
124/5	0.146
124/11	0.413
124/14	0.193
124/19	0.089
132/6	0.317
145	0.182
62	0.388
137/2	0.405
योग	131.041

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोंगरा बैराज परियोजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज़ी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

पुराना छत्तीसगढ़ कालेज परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 06 मई 2005

क्रमांक 158 /छ. ग. रा. वि. नि. आ./2005.—विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 आदेश देती है कि कोई अनुज्ञप्तिधारी, नियत दिनांक से दो वर्ष व्यतीत होने के प्रश्चात् सही मीटर स्थापित किये बिना विद्युत प्रदाय नहीं करेगा. यह अवधि 10 जून 2005 को समाप्त हो रही है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने राज्य में मीटरीकरण के वर्तमान स्तर, विभिन्न प्रकार के मीटरों की बाजार में उपलब्धता और मीटरों की प्राप्ति में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत अधिनियम के अनुसार आवश्यक, शत-प्रतिशत मीटरीकरण उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता, आयोग से व्यक्त की है. मण्डल ने शत-प्रतिशत मीटरीकरण की उपलब्धि हेतु अवधि में 3 वर्ष की वृद्धि करने का अनुरोध किया है.

आयोग, याचिका क्रमांक 2/05, में अनेक बार सुनवाई करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के आवेदन पर विचार करते हुए और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55(2) में अंतर्निहित शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में, सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए मीटरों की स्थापना हेतु मार्च 2007 के समाप्ति तक की समयावृद्धि प्रदान करता है.

Raipur, the 6th May 2005

No. 158 /CSERC/2005.—Section 55 of the Electricity Act 2003 mandates that, no licensee shall supply electricity after the expiry of two years from the appointed date, except through installation of a correct meter. This time period expires on the 10th June 2005.

Chhattisgarh State Electricity Board has informed the Commission about its inability to provide cent- percent metering by 10th June 2005, as required in the Electricity Act, in view of the present level of metering in the State, the availability of different types of meters in the market and the time likely to be taken in the procurement of meters. The Board has requested for extension of time by three years for achieving cent-percent metering.

The Commission after considering the request of CSEB in several hearings in petition No. 2/05 and in exercise of the powers vested in it under section 55 (2) of the Electricity Act, 2003, hereby grants extension of time for installation of meters, for all consumer categories in the whole of the State of Chhattisgarh, upto end March, 2007.

आयोग के आदेशानुसार,
अजय श्रीवास्तव, उप-सचिव.

निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं

विधि एवं विधायी (निवार्चन) कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2005

क्रमांक 2/99/चार/याचि./366.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली अधिसूचना संख्या 82/म.प्र.-चि.स./(2/99)/2004, दिनांक 12 जनवरी, 2005 निर्वाचन अर्जी संख्या 2/99 जबलपुर उच्च न्यायालय के तारीख 19-10-2000 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई सिविल अपील संख्या 1655 में भारत के उच्चतम न्यायालय की दिनांक 6 अप्रैल, 2004 की डिग्री को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 116 ग (2) (ख) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(बी. एल. अग्रवाल)
पदेन सचिव,
विधि विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 11 जनवरी, 2005—21 पौष, 1926 (शक)

अधिसूचना

सं. 82/म.प्र.-वि.स./(2/99)/2004.—निर्वाचन अर्जी संख्या 2/99 में जबलपुर उच्च न्यायालय के तारीख 19-10-2000 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई सिविल अपील संख्या 1655 में भारत के उच्चतम न्यायालय की दिनांक 6 अप्रैल 2004 की डिक्री को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 116 ग (2) (ख) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा प्रकाशित करता है.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

777817

CIVIL APPEAL NO.1655 OF 2001

(Appeal under Section 116-A of the Representation of People's Act from the Judgment and Order dated the 19th October,2000 of the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur in Election Petition No.2 of 1999)

Prabhat Kumar .. Appellant

Versus

Gauri Shankar Aggarwal & Ors. .. Respondents

(For full Cause title please see Schedule-A attached herewith)

6th April,2004

CORAM :

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE S.B. SINHA
HON'BLE MR. JUSTICE S.H. KAPADIA

For the Appellant : Mr. Anil Kumar Jha, Advocate (Not present)

For Respondent No.1 : Mr. Nikhil Goel and Ms. Sheela Goel, Advocates.

The Appeal above-mentioned being called on for hearing before this Court on the 6th day of April, 2004; UPON perusing the record and hearing counsel

for the respondent No.1 herein THIS COURT DOTH ORDER:

THAT the appeal above-mentioned be and is hereby dismissed as having become infructuous due to passage of time;

AND THIS COURT DOTH FURTHER ORDER that this ORDER be punctually observed and carried into execution by all concerned;

WITNESS the Hon'ble Shri Visheshwar Nath Khare, Chief Justice of India, at the Supreme Court, New Delhi dated this the 6th day of April, 2004.

Sd/-
(AMERAS MIRWANI)
DEPUTY REGISTRAR

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 1655 OF 2001

In the matter of:-

Prabhat Kumar, Son of
Pt.Bihari Lal, Resident of
and Voter of Mauza Kashdol, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

.. Appellant

Versus

1. Gauri Shankar Aggarwal,
Son of Shri Narsingh Lal Aggarwal,
M.L.A., Resident of Bhilaigarh,
Tehsil Bhilaigarh, District Raipur,
Madhya Pradesh.

2. Kanhaiya Lal Sharma,
Ex-M.L.A., R/o Kashdol, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

3. Sukhdeo Pal Sahu,
Resident of Kashdol, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

4. Gandhi Ram Nishad,
Resident of Mugradih, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

5. Laxmi Shankar,
Resident of Kashdol, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

6. Shanti Kumar,
R/o Shivri Narayanan,
District Jangir, M.P.

7. Sanjay Dubey,
Resident of Bilari, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

8. Arun Kumar Yadav,
Resident of Bilari, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

9. Dr. Kanhaiya Lal,
Resident of Bhilaigarh,
Tehsil Bhilaigarh,

trict Raipur,
hya Pradesh.

10. Dinesh Kumar Sahu,
Resident of Baiyanda Bari,
Tehsil Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

11. Laxmi Prasad,
Resident of Bhilaigarh,
Tehsil Bhilaigarh,
District Raipur,
Madhya Pradesh.

12. Hari Shankar Dubey,
Resident of Mankoni, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

.. Contesting
Respondents.

SUPREME COURT

~~CRIMINAL~~/CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 1655 OF 2001

Prabhat Kumar .. Appellant

Versus

Gauri Shankar Aggarwal & Ors. .. Respondents

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR
(Election Petition No.2 of 1999)

ORDER DISMISSING THE APPEAL AS HAVING BECOME INFRUCTUOUS

Dated this the [illegible] day of April,2004

Mr. Anil Kumar Jha,
Advocate on record for the Appellant.

Mr. Sheela Goel,
Advocate on record for Respondent No.1

आदेश से,

हस्ता./-
(एस. के. कौरा)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated 11th January, 2005—21 Pausa, 1926 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 82/MP-LA/ (2/99)/2004.—In pursuance of clause (b) Sub-section (2) of Section 116C of the Representation of the People Act, 1951 (1951 of 43), the Election Commission hereby published the Decree dated 6th April, 2004 of the Supreme Court of India in Civil Appeal No. 1655 filed against the order dated 19-10-2000 of the High Court of Judicature at Jabalpur in Election Petition No. 2/99.

Sup. C. 52

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

Certified to be true copy
Assistant Registrar (Judl.)
17/5/04
Supreme Court of India

777817

CIVIL APPEAL NO.1655 OF 2001

Appeal under Section 116-A of the Representation of People's Act from the Judgment and Order dated the 19th October, 2000 of the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur in Election Petition No.2 of 1999)

Prabhat Kumar .. Appellant

Versus

Gauri Shankar Aggarwal & Ors. .. Respondents

(For full Cause title please see Schedule-A attached herewith)

6th April, 2004

CORAM :

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE S.B. SINHA
HON'BLE MR. JUSTICE S.H. KAPADIA

For the Appellant : Mr. Anil Kumar Jha, Advocate (Not present)

For Respondent No.1 :- Mr. Nikhil Goel and Ms. Sheela Goel, Advocates.

The Appeal above-mentioned being called on for hearing before this Court on the 6th day of April, 2004; UPON perusing the record and hearing counsel

for the respondent No.1 herein THIS COURT DOTH ORDER:

THAT the appeal above-mentioned be and is hereby dismissed as having become infructuous due to passage of time;

AND THIS COURT DOTH FURTHER ORDER that this ORDER be punctually observed and carried into execution by all concerned;

WITNESS the Hon'ble Shri Visheshwar Nath Khare, Chief Justice of India, at the Supreme Court, New Delhi dated this the 6th day of April, 2004.

Sd/-
(AMBRAO HIRWANI)
DEPUTY REGISTRAR
RM

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 1655 OF 2001

In the matter of:-

Prabhat Kumar, Son of
Pt. Bihari Lal, Resident of
and Voter of Mauza Kashdol, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

.. Appellant

Versus

1. Gauri Shankar Aggarwal,
Son of Shri Narsingh Lal Aggarwal,
M.L.A., Resident of Bhilaigarh,
Tehsil Bhilaigarh, District Raipur,
Madhya Pradesh.

2. Kanhaiya Lal Sharma,
Ex-M.L.A., R/o Kashdol, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

3. Sukhdeo Pal Sahu,
Resident of Kashdol, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

4. Gandhi Ram Nishad,
Resident of Mugradih, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

5. Laxmi Shankar,
Resident of Kashdol, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

6. Shanti Kumar,
R/o Shivri Narayanan,
District Jangir, M.P.

7. Sanjay Dubey,
Resident of Bilari, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

8. Arun Kumar Yadav,
Resident of Bilari, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

9. Dr. Kanhaiya Lal,
Resident of Bhilaigarh,
Tehsil Bhilaigarh,
trict Raipur,
hya Pradesh.

10. Dinesh Kumar Sahu,
Resident of Baiyanda Bari,
Tehsil Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

11. Laxmi Prasad,
Resident of Bhilaigarh,
Tehsil Bhilaigarh,
District Raipur,
Madhya Pradesh.

12. Hari Shankar Dubey,
Resident of Mankoni, Tehsil
Kashdol, District Raipur,
Madhya Pradesh.

.. Contesting
Respondents.

SUPREME COURT

~~CRIMINAL~~/CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 1655 OF 2001

Prabhat Kumar .. Appellant

Versus

Gauri Shankar Aggarwal & Ors. .. Respondents

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR
(Election Petition No.2 of 1999)

ORDER DISMISSING THE APPEAL AS HAVING BECOME INFRUCTUOUS

Dated this the [illegible] day of April, 2004

Mr. Anil Kumar Jha,
Advocate on record for the Appellant.

Mr. Sheela Goel,
Advocate on record for Respondent No.1

By Order,

Sd/-
(S. K. KAURA)
Secretary,
Election Commission of India.